संख्या- 2 / 2017 / 670 /33-2-2017-37जी / 17

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
4- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 अप्रैल, 2017

विषय:- जिला पंचायतों में निविदायें सामान्य टेण्डर प्रणाली के स्थान पर ई- टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1 / 2017 / 642 / 33-2-2017-37जी / 17 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-टेण्डरिंग में पारदर्शिता के साथ खुली बोली की प्रक्रिया अपनायी जाय तथा निविदा खोले जाने के समय जिलाधिकारी का प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रहे।

2- उपर्युक्त के साथ ही शासनादेश संख्या-475 / 33-2-2017 दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा जिला पंचायतों में निविदायें आमंत्रित करने पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। यह आदेश दोनों प्रकार की निविदाओं यथा- नीलामी एवं निर्माण कार्य पर लागू होगी।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in